न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 305 सन 2019
अनवान :–

1. सिलोचना पुत्री चन्दुराम पत्नी ताराचन्द जाति बाजीगर निवासी रानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. बगडावत पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर
3. राजो पत्नी चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।
6. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा बरमसर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

7. शारदा पुत्री चन्दुराम पत्नी हरलाल जाति बाजीगर निवासी बिल्लू तहसील तारानगर जिला चुरू

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 की कुल 17.1990हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के 4919/57330 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1054/12285 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4919/57330हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वादी के पूर्वजों पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई जो गलत है वादी के पुर्वज/पिता चन्दुराम के देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान के नाम से वाद भूमि दर्ज होनी चाहिये थी चन्दुराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 है जो चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये वादी वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम बहिब दर्ज करवा पाने का अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरानत भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 3 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाव पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 के नाम बहिव दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की और से पैरोकार राज ने जबाब पेश कि वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 की कुल 17.1990हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के 4919/57330 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1054/12285 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4919/57330हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वादी के पूर्वजों पूर्वजों चन्दुराम वल्द ख्यालीराम एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई जो गलत है वादी के पुर्वज/पिता चन्दुराम के देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान के नाम से वाद भूमि दर्ज होनी चाहिये थी चन्दुराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 है जो चन्दुराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये वादी वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम बहिब दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 की कुल 17.1990हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के 4919/57330 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1054/12285 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4919/57330हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी /नामान्तकरण के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज चन्दुराम वल्द खानी एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा चन्दुराम वल्द खानी एवं खानी वल्द कुरडा के नाम से दर्ज है वादी के पिता/दादा चन्दुराम वल्द खानी एवं खानी वल्द कुरडा के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है जो गलत है चन्दुराम वल्द खानी जो वादी का पिता है चन्दुराम वल्द खानी के नाम से दर्ज भूमि चन्दुराम पुत्र खानी के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है अर्थात पुत्रियों के नाम भूमि दर्ज नही की गई है जो न्यायोचित नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार चन्दुराम पुत्र खानीराम के नाम वाद भूमि दर्ज थी चन्दुराम पुत्र खानीराम के देहान्त होने पर चन्दुराम के नाम दर्ज भूमि उनके जायज वारिसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है वादी वाद भूमि पूर्व में उनके पिता चन्दुराम के नाम से दर्ज थी को विरासतन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 जो चन्दुराम के जायज वारिसान है तथा चन्दुराम के वारिसान के सम्बध में कोई उज एवं ऐतराज भी पेश नही हुआ है बल्की प्रतिवादी संख्या 3 जो चन्दुराम की पत्नी है ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 जो चन्दुराम के पुत्र/पुत्रीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जावे तो कोई ऐतराज नही है।

वादी के वाद के सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को रजिस्टर सम्मन से तलब किया गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आया अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही हुआ है वल्की प्रतिवादी संख्या 3 जो चन्दुराम की पत्नी है ने सहमति प्रस्तुत की गई है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 239/201 की कुल 17.1990हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के 4919/57330 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1054/12285 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4919/57330हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के स्थान पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सिलोचना पुत्री चन्दुराम पत्नी ताराचन्द जाति बाजीगर निवासी रानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामकुमार पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. बगडावत पुत्र चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर
3. राजो पत्नी चन्दुराम जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।
6. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा बरमसर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

7. शारदा पुत्री चन्दुराम पत्नी हरलाल जाति बाजीगर निवासी बिल्लू तहसील तारानगर जिला चुरू

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 305 सन 2019 निर्णय दिनांक– 23/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 250/201 की कुल 17.1990हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के 4919/57330 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1054/12285 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 4919/57330हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के स्थान पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner